उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

मिस पिटीशन नं0-23/19

सरकार

बनाम्

बबलू मंडल एवं अन्य

—: आदेश :—

दिनांक 25/6/24

विपक्षीगण के लगातार अनुपस्थित रहने के कारण विज्ञ सरकारी वकील को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रक्रिया पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के प्रतिवेदन के आधार पर प्रारंभ किया गया है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा ने देवडाँड़ थाना काण्ड संख्या— 11/17, दिनांक—12.06.2017 में जप्त गेहूँ 40 (चालीस) बोरा (प्रति पॉकेट 50 कि0ग्रा0) कुल 20(बीस) क्विंटल एवं पीकअप वाहन नं0—JH04M-9246 को धारा 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत राजसात करने के प्रतिवेदन दिया है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा का प्रतिवेदन है कि प्राथमिकी अभियुक्तगण 1. बबलू मंडल, पिता—अमुल्य मंडल (गाड़ी चालक सह मालिक) सा0—रामगढ़ धोवा, 2. बीरबल राय, पिता—जयनाथ राय, सा0—रामगढ़ गोगिया, 3. निखिल भगत उर्फ जयराम साह, पिता—राजकिशोर भगत, सा0—जोगिया, तीनों थाना—रामगढ़, जिला—दुमका, 4. आनंद कुमार मंडल, पिता—कामेश्वर मंडल, सा0—बाघमारा, 5. अतुल चन्द मंडल, पिता—स्व0 गोराचन्द्र मंडल, सा0—रामा, दोनों थाना—देवडाँड़, जिला—गोड्डा के विरूद्ध सरकारी अनाज को कालाबाजारी करने के आरोप में अंकित किया गया है एवं प्राथमिकी अभियुक्तगण के विरूद्ध सत्य पाया गया है।

पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के प्रतिवेदन के आधार पर विपक्षीगण को कारण—पृच्छा दाखिल करने के लिए नोटिश निर्गत किया गया।

विपक्षीगण की ओर से कारण—पृच्छा दाखिल किया गया है। विपक्षी बबलू मंडल की ओर से दाखिल कारण—पृच्छा में उल्लेख किया गया है कि वर्तमान मामला पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के पत्रांक—394/सी0आर0 दिनांक—06.02.18 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रारंभ किया गया है। लेकिन उक्त मामला देवडाँड़ थाना के अन्तर्गत दिखाकर श्री राजेश कुमार, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बसंतराय के द्वारा अवैध ढंग से दर्ज किया गया है। पुलिस के द्वारा न्यायिक दण्डाधिकारी, गोड्डा को दिये गये प्रतिवेदन से भी स्पष्ट है कि वाहन को अवैध ढंग से जप्त किया गया है एवं उक्त जाँच

प्रतिवेदन के आधार पर न्यायिक दण्डाधिकारी, गोड्डा के द्वारा वाहन को विमुक्त किया गया है। इसलिए वर्तमान वाद को समाप्त करने की कृपा की जाय।

विपक्षी निखिल भगत उर्फ जयराम साह एवं आनंद कुमार मंडल की ओर से दाखिल कारण–पृच्छा में उल्लेख किया है कि विपक्षी को इस वाद में संलिप्त वाहन पिकअप भान एवं उसमें गेहूँ से कोई सरोकार नहीं है। उक्त आधार पर न्यायिक विभाग ने भी विपक्षी को जमानत पर मुक्त किया गया है। इसलिए विपक्षी को प्रक्रिया से मुक्त करने के लिए अनुरोध किया है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि यह विषय देवडाँड़ थाना काण्ड सं0–11/17 के तहत जप्त गेहूँ 40 (चालीस) बोरा (प्रति पॉकेट 50 कि0ग्रा0) कुल 20(बीस) क्विंटल एवं पीकअप भान वाहन निबंधन सं0–JH04M-9246 को राजसात करने से संबंधित है। मामला पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के तहत दायर किया गया है। यद्यपि विपक्षी की ओर से कोई कागजात दाखिल नहीं किया है। लेकिन अपने कारण–पृच्छा में उल्लेख किया है कि जप्त वाहन को न्यायिक दण्डाधिकारी, गोड्डा के द्वारा विमुक्त किया गया है। ऐसी स्थिति में जप्त वाहन को राजसात करने से संबंधित प्रक्रिया को चालू रखना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है। जहाँ तक जप्त 20 क्विंटल गेहूँ प्रश्न है, इस संबंध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा को आदेश दिया जाता है कि जप्त उक्त गेहूँ को विक्रय कर प्राप्त राशि को जिला नजारत में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त
गोड्डा

उपायुक्त
गोड्डा

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2024.08.12 12:02:54 +05:30
Location: 192.168.1.54